इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019—श्रावण 4, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-2110.—   जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त संहिता की धारा 122 के द्वारा यथाअपेक्षित अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 31 मई 2019 में किया गया है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(4) कोई व्यक्ति जो विधिक सहायता अधिकारी है या रहा हो."

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the "Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016", the same having been previously published as required by Section 122 of the said Code in the Madhya Pradesh Gazette Part 4 (c), dated 31 May 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(4) A person who is or has been a Legal Aid Officer.".

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.